बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को0–24/2015– 3783 /कृ0, पटना, दिनांक 29-10-2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषयः– **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाईपेंड के लिए 5100.68 लाख रूपये (एकावन करोड़ अड़सठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाईपेंड के लिए 5100.68 लाख रूपये (एकावन करोड़ अड़सठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध कृषि/उद्यान महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना मद से वर्ष 2006–07 में नालन्दा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, वर्ष 2007–08 में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा, वर्ष 2009–10 में वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव, वर्ष 2010–11 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियॉ एवं वर्ष 2013–14 में डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गयी है।

3. उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य शुरू हो चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को आई.सी.ए.आर. द्वारा एक्रीडिशन किया गया है। शिक्षा के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर शोध शामिल है। कम पानी में अधिक उपज देने वाले सबौर अर्द्धजल, सबौर निर्जल जैसे महत्वपूर्ण धान प्रभेदों का विकास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा इसके अधीन महाविद्यालय प्रत्येक शनिवार को 'कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार' का आयोजन किया जा रहा है।

4. बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध नवसृजित महाविद्यालयों के लिए स्थापना/स्टाईपेंड से संबंधित मदों में राशि की आवश्यकता का आकलन निम्न प्रकार से किया गया है, (राशि लाख रू० में)

Sl. No.	Description of Item	BAU Sabour, Bhagalpur, Hq	VKS Agri College Dumraon	BPS Agri. College Purnea	Nalanda Hort. College, Nalanda	MB Agri. College, Saharsa	Dr. Kalam Agri. College, Kishanganj	Total
1	Salary	1405	357.15	472.24	719.08	395.8	64.89	3414.16
2	Prize/Gift	0.7	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	1.75
3	Medical Reimbursement	5.17	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	18.37
4	T.A, etc.	18.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	62.5
5	Office Expenses	214.99	13.56	13.56	13.56	13.44	68.06	337.17
6	Vehicle Runnig Expense	28.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	76.8
7	Telephone	22.68	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	56.28
8	Electricity	167.45	7.04	7.04	7.04	7.04	271.04	466.65
9	Legal expense	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	7.7
10	Liveries	4.22	1.78	1.78	3.7	1.78	1.78	15.04
11	Printing and Publications	4.2	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	15
12	Visitors/Guests	6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	24
13	Conference/ Seminar	16	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	56.5
14	Material& Supplies	24	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	90
15	Minor work & Repair	15.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	63.6
16	Business & Spl. Services	12	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	43.2
17	Stipend for graduate students	351.96						351.96
	Total	2299.47	451.5	566.59	815.35	490.03	477.74	5100.68

5. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से संबद्ध महाविद्यालयों में कृषि/उद्यान में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड की राशि पूर्व की तरह 2000 रू० प्रति माह तथा पुस्तक आदि के क्रय के लिए 6000 रू० प्रति वर्ष प्रति छात्र भुगतान की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों का भुगतान बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को विमुक्त किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–277–शिक्षा, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415012770108		
विषय शीर्ष 0108.31.04 सहायक अनुदान वेतन	4648.00	2833.7528
विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	2158.00	1399.8116
कुल	**6806.00**	**4233.5644**
मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017890103		
विषय शीर्ष 0103.31.04 सहायक अनुदान वेतन	896.00	546.2656
विषय शीर्ष 0103.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	416.00	269.8432
कुल	**1312.00**	**816.1088**
मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– 01-2415017960104		
विषय शीर्ष 0104.31.04 सहायक अनुदान वेतन	56.00	34.1416
विषय शीर्ष 0104.31.06 सहायक अनुदान – गैर वेतन	26.00	16.8652
कुल	**82.00**	**51.0068**

8. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 5100.68 लाख रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

9. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी0टी0सी0–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विफ्त्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलबध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

11. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 09.10.18 को संचिका संख्या–4/कृ0शि0को0–24/2015 के पृ0सं0– 118/टि0 पर प्राप्त है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–4/कृ0शि0को0–24/2015 के पृ0सं0– 120/टि0 पर दिनांक 22.10.2018 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra
25.10.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ0शि0को0–24/2015 3783 /कृ0, पटना, दिनांक 29-10-2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा), महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ0शि0को0–24/2015 3783 /कृ0, पटना, दिनांक 29-10-2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
25.10.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\Desk top 5.10.2018\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\BAU-Plan-2018-19.docx

ज्ञापांकः–4 / कृ0शि0को0–24 / 2015 3783 / कृ0, पटना, दिनांक 29-10-2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Adiundoo 25-10-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4 / कृ0शि0को0–24 / 2015 3783 / कृ0, पटना, दिनांक 29-10-2018

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार ,पटना / बजट प्रभारी, कृषि विभाग / कृषि विभाग मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा / वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप निदेशक शष्य (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Adiundoo 25-10-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\Desk top 5.10.2018\Praveen Sir\BAU Plan 2018-19\BAU-Plan-2018-19.docx